# 624वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 26 फरवरी 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 624वीं बैठक दिनांक 26/02/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

**1. <u>Case No 9620/2023 M/s Shiv Kripa Associate, Partner, Smt. Sarita Singh MIG-2-421, Near Housing Board Office, Priyadarshini Nagar, Jamodi, District-Sidhi (MP)-486771, Prior Environment Clearance for Beeradei Stone Quarry in an area of 1.400 ha. (21,090 Cum per annum) (Khasra No. 316/6, 316/7 Private Land), Village-Beeradei, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 316/6, 316/7), Village-Beeradei, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (MP) 1.400 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सरिता सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, ग्रीन सर्कल आईएनसी. वडोदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 8729 दिनांक 22/12/2022 द्वारा 02 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 95 मीटर पर मौसमी नाला, उत्तर दिशा में 220 मी. पर नदी, दक्षिणा दिशा मे 266 मी. पर रोड़, दक्षिण दिशा में 195 मीटर पर टॉवर एवं दक्षिण – पूर्व दिशा में 205 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में 01 पेड़ लगा दिख रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह 7.5 मीटर के बैरियर जोन में है जिसे काटा नही जायेगा ।

**प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा**

**नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–79 के सरल क्रमांक–35 पर दर्ज है । । चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी में है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1- खदान के पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर मौसमी नाला, उत्तर दिशा में 220 मी. पर नदी, दक्षिणा दिशा मे 266 मी. पर रोड़, दक्षिण दिशा में 195 मीटर पर टॉवर एवं दक्षिण – पूर्व दिशा में 205 मीटर पर आबादी. है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
2- ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि है तथा आस–पास काफी कृषि भूमि दृष्टिगत हो रही है अतः परियोजना प्रस्तावक इस प्रस्तावित खनन् के कारण आस–पास की कृषि भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
4. यह जानकारी भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे कि खनन् हेतु आवंटित भूमि की 20 साल तक की स्थिति में कृषि उपज की ईकोनोमिक वेल्यू कितनी है तथा इस जिले में परियोजना प्रस्तावक की कुल लेंड होलडिंग कितनी है ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

**2. <u>Case No 9623/2023 Shri Bheru Lal Vyas R/o 16, Sakhwal Nagar, District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Sanwliya Rundi Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 3/2 Govt. Land), Village-Sanwliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)</u>**

This is case of Stone (Gitti) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/2), Village- Sanwliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

# 624वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 26 फरवरी 2023

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री भेरू ब्यास (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, अपेक्स माइनटेक, उदयपुर (राजस्थान) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2118 दिनांक 19/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के बीच में से एक कच्चा रोड निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हॉलेज रोड है जो समीप स्थित क्रेशर द्वारा उपयोग की जा रही है तथा इसकी प्रतिस्थापना की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जायेगी । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर एवं पश्चिम दिशा मे 50 मीटर पर पक्का रोड़ तथा लीज क्षेत्र मे से एक सीजनल ड्रेन ओरिजनेट हो रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिमसें इस खदान का विवरण दर्ज हो । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी में है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के बीच में से एक कच्चा रोड निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हॉलेज रोड है जो समीप स्थित क्रेशर द्वारा उपयोग की जा रही है तथा इसकी प्रतिस्थापना की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये ।
2. आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर एवं पश्चिम दिशा मे 50 मीटर पर पक्का रोड़ तथा लीज क्षेत्र मे से एक सीजनल ड्रेन ओरिजनेट हो रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।

5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिमसें इस खदान का विवरण दर्ज हो।

**3. <u>Case No 9632/2022 Shri Jaivinder Singh Bhatia, M/s Agrawal Distilleries Pvt. Ltd., 509-510, Princess Business Sky Park, Opposite Orbit Mall, A.B. Road, Vijay Nagar, Indore (MP)- 452010. Prior Environment Clearance for proposed capacity expansion of grain based distillery from 40 KLD/Year to 190 KLD/Year along with 5.6 MW Power Plant in an area of 7.633 ha. in Khasra No. 15, 17 at Village Sabalpura, Tehsil Barwaha, Distt. Khargone, M.P. under Cat. 5(g), Env. Consultant:- M/s. ENVISOLVE LLP, INDORE M.P.</u>**

This is case of Prior Environment Clearance for proposed Capacity expansion of grain based distillery from 40 KLD/Year to 190 KLD/Year along with 5.6 MW Power Plant in an area of 7.633 ha. in Khasra No. 15, 17 at Village-Sabalpura, Tehsil-Barwaha, Dist.-Khargone, M.P. <u>Cat. 5(g),</u>

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and authorized representatives Shri Ritesh Singh Tomer on behalf of PP Shri Jaivinder Singh Bhatia from M/s Agrawal Distilleries Pvt. Ltd., Barwaha. During presentation PP submitted that it is an expansion in the existing Grain Based Distillery for production of RS/ENA & 5.6 MW Cogeneration power plant. Ethanol is the basic raw material for the utilization in the chemical industry, for potable purposes and now it is being used for mixing in the petrol as fuel keeping in view of the future requirements of ethanol. Furthermore, it is the starting material for the preparation of a long list of industrial organic chemicals alcohol has assumed very important place in the country's economy. Following other details were submitted by PP:

- M/s Agrawal Distilleries (P) Limited has proposed an expansion in production capacity of its existing grain-based distillery at Khasra No.–15 and 17, Village-Sabalpura, Tehsil Barwaha, District-Khargone (M.P.). from 40 KLD to 190 KLD distillery along with 5.6 MW Power Plant in an area of 7.633 hectares.
- The project is falls under 5 (g) (ii) category B of the EIA Notification & its amendments. issued by the Ministry of Environment & Forest vide S.O.1533 (E),

dated September 14, 2006 & its amendments (5g, Category- B, Notification 14th September 2006) along with existing products in the same facility.

- The land acquired for the proposed expansion is having all basic facilities like availability of water and fuel, electricity, transport, telecommunication systems etc.
- Raw materials required for the production of all the products are easily available in the local market. This will reduce both the cost of raw material, transportation and the associated risk. • Availability of trained and skilled manpower in nearby areas.
- There is no National Park / Sanctuaries, Eco-sensitive areas (Chief Wildlife Warden letter dtd 04.06.15), critically polluted areas and inter-State boundaries within 10 km of the proposed site, hence, general conditions are not attracted as per EIA Notification 2006.
- The plant is based on ZLD technology.
- Proposed 5.6 MW co-generation plant consists of a high-pressure water tube steam boiler steam turbine. Fuel in the steam boiler will be burnt with the help of air in the boiler furnace. Water will be circulated in the boiler drum and tubes thus getting heated by the flame burning in the boiler furnace.
- Total Fresh water requirement of the plant would be around 1352 KLPD. Water requirement of the plant is proposed to be met by Ground Water and internal recycling of water.
- The expansion project is within existing premises.
- There is no forest area involved in the acquired land. Forest area is adjacent to the site. Parivesh portal also clear it to "Project area of part thereof no falling in Forestland." (EDS replied by PP).

During presentation it was observed by the committee that a natural drain is adjacent to the proposed site and is encircling the unit in the north –east to south – east for which protection plan be submitted. It was also observed that ground water abstraction is proposed for which permission has been taken which is valid up to 28.04.2025. Committee asked that necessary documentary evidences shall be submitted with EIA report and for any additional requirement of ground water, the application shall be made to CGWB and furnished with the EIA report. A habitation at approx. 300 m in the north side and coal fires boiler is proposed, thus PP shall carryout plume dispersion modeling and submit necessary protection plan with the EIA report. During presentation, PP submitted that as by-product- CO2 - 110 TPD, DDGS- 140 TPD will be generated and CO2 will be bottles and sold to concerned users for which details shall be provided in the EIA report. PP submitted that 33% Green belt has been developed in existing plant for which committee suggested that PP may also carryout plantation along the banks of natural drain in existence on the north – east to south – east side of the premises and adjoining forest area and detail plan be submitted with EIA report along with the pervious EC compliance report of the competent authority. The site is in the catchment of Narmada River and any accidental discharge may

find its way to the river, thus PP shall justify proposed expansion in details with all protection plans (considering worst case scenario) with respect to the Narmada River with details of drainage of the project up to 5km radius of study area. If the site is within 1 km radius of any major river, peak and lean season river discharge as well as flood occurrence frequency based on peak rainfall data of the past 30 years. Details of Flood Level of the project site and maximum Flood Level of the river shall also be provided. If any C&D waste is expected to be generated during proposed expansion, details shall be submitted with EIA report. During presentation PP was unable to provide the details of which locally available grain will be used for the proposed expansion thus committee asked that the details shall be submitted with EIA report along with desired volume. After deliberations committee decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

1. Compliance of earlier conditions from the competent authority.
2. Process description along with major equipments and machineries, process flow sheet (quantative) from raw material to products to be provided
3. Hazard identification and details of proposed safety systems.
4. A natural drain is adjacent to the proposed site and is encircling the unit in the north – east to south – east for which protection plan be submitted.
5. Ground water abstraction is proposed for which permission has been taken which is valid up to 28.04.2025 and necessary documentary evidences shall be submitted with EIA report and for any additional requirement of ground water, the application shall be made to CGWB and furnished with the EIA report.
6. A habitation at approx. 300 m in the north side and coal fires boiler is proposed, thus PP shall carryout plume dispersion modeling and submit necessary protection plan with the EIA report.
7. CO2 - 110 TPD & DDGS- 140 TPD will be generated and CO2 will be bottles and sold to concerned users for which details shall be provided in the EIA report.
8. 33% Green belt has been developed in existing plant for which committee suggested that PP may also carryout plantation along the banks of natural drain in existence on the north – east to south – east side of the premises and adjoining forest area and detail plan be submitted with EIA report.
9. The site is in the catchment of Narmada River and any accidental discharge may find its way to the river, thus PP shall justify proposed expansion in details with all protection plans (considering worst case scenario) with respect to the Narmada River with details of drainage of the project up to 5km radius of study area. If the site is within 1 km radius of any major river, peak and lean season river discharge as well as flood occurrence frequency based on peak rainfall data of the past 30 years. Details of Flood Level of the project site and maximum Flood Level of the river shall also be provided.

10. Proper utilization of fly ash shall be ensured as per Fly Ash Notification, 2009 and detailed plan of action shall be provided in EIA report.
11. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
12. Industry has to comply with zero discharge for which necessary details should be provided in the EIA report.
13. Land use plans of the plant both existing land use as well as proposed land use and PP should assure that no existing green area shall be altered for which a written commitment be submitted with the EIA report.
14. Inventory of existing and proposed machinery and if any existing machinery proposed to be used same shall be presented in the EIA report. If any C&D waste is expected to be generated during proposed expansion, details shall be submitted with EIA report.
15. PP should explore possibility of using Biofuel based technology in boilers.

**4. Case No 9633/2023 Shri Ankur Sharma, Executive Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Canal Division, Narsinghpur (MP). Prior Environment Clearance for Dudhi Dam and Piped Irrigation Project on Dudhi river located at Near Village-Dharav Parav, Tehsil-Bankhedi, District-Narmadapuram (M.P.) [Dudhi Project is planned to cater CCA – 55,410 (in Narmadapuram-30,410 ha. & in Tamia and Parasia tehsils of Chhindwara district-25,000 ha.) in various villages of Tamia & Parasia tehsils of Chhindwara district and Bankheri & Piparia tehsils of Hoshangabad (Narmadapuram) district, M.P.] GCA- 70,713 ha. Length of Concrete Dam- 180 Meters. , Height of Dam- 38 meters , Length of Spill Way – 120 meters Project Catogory- 1(c) under River Valley Project. Env. Con.- M/s. R.S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd., Gurgaon (Haryana).**

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Dudhi Dam and Piped Irrigation Project on Dudhi river located at Near Village-Dharav Parav, Tehsil-Bankhedi, District-Narmadapuram (M.P.) [Dudhi Project is planned to cater CCA – 55,410 (in Narmadapuram-30,410 ha. & in Tamia and Parasia tehsils of Chhindwara district-25,000 ha.) in various villages of Tamia & Parasia tehsils of Chhindwara district and Bankheri & Piparia tehsils of Hoshangabad (Narmadapuram) district, M.P.] GCA- 70,713 ha.

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri Ankur Sharma, Executive Engineer, (online) Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Canal Division, Narsinghpur & Dindori (MP) and Shri Nikhil Kumar Dubey, SDO Narsinghpur wherein PP stated that around 1730 ha. of forest land will be diverted for development of Project components and

access roads. PP submitted that total 205 villages shall be benefitted out of which 92 villages belongs to Narmadapuram and 113 villages belongs to Chhindwara district. During presentation, PP submitted that they have applied for Forest NOC vide no. 66, dated 11.01.23 regarding Distance from nearest NP/ Sanctuary. Out of Total land 3337 ha. Forest land is 1730 ha. Govt. land 734 ha. & Pvt. Land-873 ha., Benefitted village- 205 nos. Power required 88.17 MW. Since the project involves 734.00 ha Govt. land thus status of this land as per land records of collectorate shall be submitted. If as per the record, Grazing land is involved, alternate proposal for development of grazing land be prepared as submitted with EIA report. The CAT plan shall be approved by the forest department. Committee also suggested that PP shall tabulate the number of trees falling under the submergence and compensatory plantation scheme shall be submitted with EIA report. During deliberations, committee also suggested that if any archeological site is located within the project boundary/ affected area, its protection plan shall be discussed in the EIA report. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Since project involves 1730 ha., forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and status of FC clearance shall be submitted with EIA report.
2. Bifurcation of RF and PF details (if any).
3. During presentation, PP submitted that they have applied for Forest NOC vide no. 66, dated 11.01.23 regarding Distance from nearest NP/ Sanctuary and thus the same shall be submitted with EIA report.
4. Since the project involves 734.00 ha Govt. land thus status of this land as per land records of collectorate shall be submitted. If as per the record, Grazing land is involved, alternate proposal for development of grazing land be prepared as submitted with EIA report.
5. The CAT plan shall be approved by the forest department.
6. PP shall tabulate the number of trees falling under the submergence and compensatory plantation scheme shall be submitted with EIA report.
7. If any archeological site is located within the project boundary/ affected area, its protection plan shall be discussed in the EIA report.
8. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
9. Out of Total land 3337 ha., Govt. land 734 ha. & Pvt. Land-873 ha hence, if any issue involved to R&R, to be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification.
10. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income,

house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.

**11.** Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.

**12.** Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.

**13.** Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.

**14.** All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.

**5.** **Case No 9634/2023 Shri Ankur Sharma, Executive Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Canal Division, Narsinghpur (M.P.). Prior Environment Clearance for Shakkar Pench Link Combined Project is proposed on river Shakkar a tributary of river Narmada at Tehsil/Block Gadarwara District- Narsinghpur (M.P.) Total CCA - 95,839 ha. in Districts Narsinghpur (CCA - 64,000 ha.) and Chhindwara (CCA - 31,831 ha.) GCA - 1,27,166 ha.. submergence area under the dam is estimated as 3380.43 Ha. at Near Village-Hathnapur, Tehsil-Kareli, District-Narsinghpur (MP). Length of Dam- 384.435 Meters, Height of dam- 95.4 , Spill –way- 220.0 meters Long, Project fall Under Project Catogory- 1(c) under River Valley Project. Env. Con. M/s. R.S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd., Gurgaon (Haryana).**

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for proposed Shakkar Pench Link Combined Project is proposed on river Shakkar a tributary of river Narmada at Tehsil/Block Gadarwara District- Narsinghpur (M.P.) Total CCA- 95,839 ha. in districts Narsinghpur (CCA-64,000 ha.) and Chhindwara (CCA-31,831 ha.) GCA- 1,27,166 ha. submergence area under the dam is estimated as 3380.43 Ha. at near Village-Hathnapur, Tehsil-Kareli, District-Narsinghpur (MP).

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri Ankur Sharma, Executive Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Canal Division, Narsinghpur Dindori (M.P.), wherein PP stated that around 1898.65 Ha. of forest land will be diverted for development of Project components and access roads.

PP further stated that construction of Shakkar Dam on River Shakkar in Tehsil Kareli, District Narsinghpurr 445.73 MCM Gross water storage capacity (with maximum submergence of 3380.43 Ha land comprising of 1004.95 ha. private land, 476.83 ha government land and 1898.65 ha. forest land) with all necessary features required for safety and stability of structure and for passing designed flood of 15736 cumecs etc complete. During presentation, PP submitted that for distance from protected area (NP/WLS) PP has written a letter to Chief Wild life warden vide no. 45 dated 06.01.2023 and same will be submitted with EIA report. R& R is proposed in 12 village and No. of Project Displaced Families will be 400 nos. Around 1898.65 Ha of forest land, Govt. land 1898.65 ha. & Pvt. Land-1004.95 ha., is involved in the project and Power required 88.67 MW. Since the project involves 1898.65.00 ha Govt. land thus status of this land as per land records of collectorate shall be submitted. If as per the record, Grazing land is involved, alternate proposal for development of grazing land be prepared as submitted with EIA report. The CAT plan shall be approved by the forest department. Committee also suggested that PP shall tabulate the number of trees falling under the submergence and compensatory plantation scheme shall be submitted with EIA report. During deliberations, committee also suggested that if any archeological site is located within the project boundary/ affected area, its protection plan shall be discussed in the EIA report. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Since project involves 1898.65 ha., forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report.
2. Bifurcation of RF and PF details (if any).
3. During presentation, PP submitted that they have applied for Forest NOC vide no. 66, dated 11.01.23 regarding Distance from nearest NP/ Sanctuary and thus the same shall be submitted with EIA report.

**4.** Since the project involves 734.00 ha Govt. land thus status of this land as per land records of collectorate shall be submitted. If as per the record, Grazing land is involved, alternate proposal for development of grazing land be prepared as submitted with EIA report.

**5.** The CAT plan shall be approved by the forest department.

**6.** PP shall tabulate the number of trees falling under the submergence and compensatory plantation scheme shall be submitted with EIA report.

**7.** If any archeological site is located within the project boundary/ affected area, its protection plan shall be discussed in the EIA report.

**8.** Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.

**9.** In this project Govt. land 1898.65 ha. & Pvt. Land-1004.95 ha hence, if any issue involved to R&R, to be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification.

**10.** In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.

**11.** Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.

**12.** Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.

**13.** Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.

**14.** All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial

details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.

**6. <u>Case No 9640/2023 M/s Gwalior Stone Industries, Partner, Shri Vijay Pratap Singh Kushwah S/o Satendra Pratap Singh Kushwah, , 201, Millenium Plaza, Govindpuri, Govindpuru University Road, Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Khedaviran Quartz (50,000 TPA) and Silica Sand (1,20,000 TPA) Mine in an area of 9.40 ha. (1,70,000 Cum per annum) (Khasra No. 141), Village- Khedaviran, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)</u>**

This is case of Quartz and Silica Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 141), Village- Khedaviran, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 9.40 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विजय प्रताप सिंह कुशवाहा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मे0. ए सीरीज इंवारोटेक इंडिया प्रा. लि. नोएडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 12410 दिनांक 21/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान का कुछ भाग पहाड पर है जो कि समीपस्थ भूमि से लगभग 64 मी. की ऊचांई पर है एवं खनन् क्षेत्र के दक्षिण–पूर्व दिशा में खदान के अंदर से एवं लीज बांऊड्री से लगा हुआ व दक्षिण पश्चिम दिशा में भी आवंटित क्षेत्र से 80 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत किया जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। लीज के मध्य का अल्प भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पुरानी गूगल इमेज के अनुसार यह 2016 से खुदा है तथा हमको लीज इसी स्थिति में 2022 में प्राप्त हुई है तथा हमारे द्वारा खनन् कार्य नही किया गया है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 12410 दिनांक 21/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान का नाम जोड लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खनन् क्षेत्र के दक्षिण–पूर्व दिशा में खदान के अंदर से एवं लीज बांऊड्री से लगा हुआ व दक्षिण पश्चिम दिशा में भी आवंटित क्षेत्र से 80 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत किया जाये।

2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ (Coordinate) सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि है तथा आस–पास काफी कृषि भूमि दृष्टिगत हो रही है अतः परियोजना प्रस्तावक इस प्रस्तावित खनन् के कारण आस–पास की कृषि भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
5. यह जानकारी भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे कि खनन् हेतु आवंटित भूमि की 20 साल तक की स्थिति में कृषि उपज की ईकोनोमिक वेल्यू कितनी है तथा इस जिले में परियोजना प्रस्तावक की कुल लेंड होलडिंग कितनी है ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
11. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

**7. <u>Case No 9641/2023 M/s Gwalior Stone Industries, Partner,Shri Vijay Pratap Singh Kushwah S/o Satendra Pratap Singh Kushwah, 201, Millenium Plaza, Govindpuri, Govindpuru University Road, Gwalior (MP)-474011 Prior Environment Clearance for Khedaviran Quartz (20,000 TPA) and Silica Sand (80,000 TPA) Mine in an area of 05.360 ha. (1,00,000 Cum per annum) (Khasra No. 141), Village- Khedaviran, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)</u>**

This is case of Quartz and Silica Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 141), Village- Khedaviran, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 05.360 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

# 624वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 26 फरवरी 2023

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विजय प्रताप सिंह कुशवाहा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मे0. ए सीरीज इंवारोटेक इंडिया प्रा. लि. नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 12409 दिनांक 21/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान का सम्पूर्ण भाग पहाड पर है जो कि समीपस्थ भूमि से लगभग 44 मी. की ऊचांई पर है, एवं खनन् क्षेत्र के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में खदान के अंदर से एवं लीज बांऊड्री से लगा हुआ एक कच्चा रोड निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत किया जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 12409 दिनांक 21/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान का नाम जोड लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खनन् क्षेत्र के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में खदान के अंदर से एवं लीज बांऊड्री से लगा हुआ एक कच्चा रोड निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत किया जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ (Coordinate) सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
10. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

**8. <u>Case No 9642/2023 Smt. Rajabeti Adiwasi W/o Shri Sunil Adiwasi R/o 61, Neemchadoha, District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone (Farshi Patthar) Quarry in an area of 04.40 ha. (20,000 Cum per annum) (Khasra No. 950P), Village- Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP)</u>**

This is case of Flag Stone (Farshi Patthar) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 950P), Village- Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP) 04.40 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती राजावेटी आदीवासी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री किशन पंडित(ऑनलाईन), मे0. ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, जयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 12151 दिनांक 01/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फर्शी पत्थर का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण में 200 मी0. पर डेम स्थित है, पूर्व दिशा में लगभग 215 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला है तथा उत्तर–पूर्व दिशा में पक्का रोड 278 मीटर पर है एवं आबादी उत्तर–पूर्व दिशा में 625 मीटर पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 12240 दिनांक 13/12/2022 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोडी जावेगी। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि इस प्ररकण के संबंध में दो शिकायत प्राप्त हुई है :–

**<u>अ.</u> शिकायत–पत्र क0. 1 – ग्रामवासियों (श्री हाकिम सिंह गुर्जर, श्री गिरधारी गुर्जर, श्री दशरथ सिंह गुर्जर एवं अन्य) से प्राप्त शिकायत के संबंध में टीप (संलग्नक – 1 सिया को भी संबोधित है)**

**<u>ब.</u> मे0. मानवी इन्टरप्राइजेस, ग्वालियर (संलग्नक – 2 )**

समिति द्वारा प्राप्त उपरोक्त शिकायतों का अवलोकन किया एवं पाया कि दोनो शिकायतो में उठाये गये बिंदुओ जैसे लीज अलाटमेंट, उसके विरूद्ध की गई अपील, हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच आदेश दिनांक 19/10/94 इत्यादि के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रतिवेदन प्राप्त कर ही इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जाना उचित होगी अतः प्रकरण सिया के माध्यम से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाना अनुशंसित है ।

**9. <u>Case No 9643/2023 Smt. Shakuntala Bhalse Lessee, H. No. 155-156, Gomti Nagar, District-Indore (MP)-452006, Prior Environment Clearance for Rawad Stone Quarry in an area of 02.50 ha. (Stone 25,000 Cum per annum and OB-11842 Cum per annum) (Khasra No. 33/1/4/3/1 Govt. Land), Village- Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 33/1/4/3/1), Village- Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) 02.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शकुंतला भालसे (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, ग्रीन सर्कल आईएनसी. वडोदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 52 दिनांक 12/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 309 मी. पर आबादी तथा उत्तर दिशा में 180 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 52 दिनांक 12/01/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त खदान के अनुबंध/निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् डी.एस.आर. रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 309 मी. पर आबादी तथा उत्तर दिशा में 180 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

**10. <u>Case No 9645/2023 Shri Sanjay Dixit, Dean, M.G.M. Government Medical College, Super Speciality Hospital, A-H, Deendayal Upadhyay Nagar, Sukhiya, Vijay Nagar, Indore (MP)-452010. Prior Environment Clearance for Construction of 402 bedded Super Speciality Hospital/MGM Govt. Medical College at Khasra No. 06 Village-Residency Area, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP). Total Plot Area - 13354.60 Sq.Meters , Total Floor Area Ratio (FAR)- 29,369.44 Sq. Meters Total Built-up Area- 32,342 Sq. Meters. Env. Consultant: Env. Consultant:- M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P. - TOR (Violation)</u>**

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of 402 bedded Super Speciality Hospital/MGM Govt. Medical College at Khasra No. 06 Village-Residency Area, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP). Total Plot Area - 13354.60 Sq.Meters , Total Floor Area Ratio (FAR)- 29,369.44 Sq. Meters Total Built-up Area- 32,342 Sq. Meters.

The case was presented by PP Shri Sanjay Dixit, Dean, M.G.M. Government Medical College, Super Speciality Hospital's authorized representative Dr. Muneer Ahmad Khan and their Environmental Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P . The proposed project is divided into two blocks; (A) Main Hospital Block (Super Specialty Block), and (B) Annex Hospital Building. The main hospital building consists of Basement + Ground Floor + 8 Floors. However, the Annex Ground Floor + 6. The total built-up area of the proposed project is 32,342 m2. As per EIA notification S.O.1533 issued on 14th Sep 2006 and its subsequent amendments the proposed project is falling under Project /Activity 8(a) Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m2 and < 150000 m2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, MP. No litigations pending against the project and / or land in which the project is proposed to set up. The project falls under seismic Zone II This Zone has been recognized as Low – Hazard Zone. Suitable seismic coefficients in horizontal and vertical directions will be adopted while designing the structures. During presentation PP submitted that this is a violation project wherein project is 100% completed and have also become operational. Through EDS reply to SEIAA PP submitted that the Ralamandal WLS is 8.5 Kms for which application to NABL is under process and NABL clearance shall be submitted with EIA. PP also submitted T&C PO allocation of vacant land belongs to plot no. 06 of 3.3 acre. During presentation committee also instructed PP that if any tree is uprooted during construction, its permission shall be annexed with EIA report.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits shall be submitted with EIA report.
2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. Land acquisition status, R & R details (if any).
5. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5-6 locations in the study area of 10 Km.
6. Status report of constriction with details regarding its operational status and possession given so far in the staff quarters etc.
7. During presentation it was observed from the previous Google image that some trees were existing within the demarcated area thus PP shall provide the details wrt no of trees felled during construction, permission obtained for tree falling and extensive tree plantation scheme.
8. If any diversion of natural drain was carried out during the construction of the project, the details of the same shall be submitted with EIA report.
9. Status of CTE from the MP Pollution Control Board shall be submitted with EIA report.

10. Status of ground water level at the begging of construction and present shall be studied and discussed in the EIA report.
11. If laundry is proposed in the project, the its details shall be submitted with EIA report along with STP and ETP details.
12. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report with details of $CO_2$ emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
13. Provision of additional exit gate in the proposed project at the time of emergency shall be provided and details shall be provided with EIA report.
14. Copy of Fire NOC obtained from the concerned department and submitted with EIA.
15. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project. Under energy conservation plan detail proposals for solar panels, battery operated carts for patients, solar heating systems shall be studied and submitted with EIA report.
16. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
17. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
18. Through EDS reply to SEIAA PP submitted that the Ralamandal WLS is 8.5 Kms for which application to NABL is under process thus NABL clearance/its status shall be submitted with EIA.
19. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
20. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
21. Management of solid wastes and the construction & demolition waste for the project wrt to the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Waste Rules, 2016 along with Bio Medical Waste Management Rules, 2016 with copy of agreement with facility provider shall be discussed in EIA report.
22. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
23. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
24. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

**11. <u>Case No 9650/2023 Shri Nitish Chaturvedi, Owner M/s Khajuraho Stones (India) Private Limited, 6 KM Sagar Road, Dhadhari, District-Chhatarpur (MP)-471001 Prior Environment Clearance for Budore Stone & M-Sand Quarry in an area of 11.00 ha. (Production expansion 1.5 Lakh TPA to 4.0 Lakh TPA) (Khasra No. 1293 Govt. Land), Village-Budore, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP)</u>**

This is case of Budore Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1293), Village-Budore, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP) 11.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नितीश चतुर्वेदी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार Shri Sanjay Singh, M/s. Aplinka Solutions & Technologies Pvt. Ltd. NOIDA, (U.P.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2154 दिनांक 13/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के अंदर उत्तर पूर्व दिशा में कुछ भाग खुदा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार से संबंधित है जिसकी पूर्व पर्यावर्णीय स्वीकृति (1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष) वर्ष 2013 तत्कालीन परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाल सिंह के नाम से जारी हुई थी तथा 03/03/22 को खजुराहो स्टोन के नाम से स्थानांतरित हुई। चूंकि प्रकरण क्षमता विस्तार का है अतः पूर्व पयावणीय अभिस्वीकृति का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ई.अई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। लीज के दक्षिण पश्चिम दिशा में लीज से लगी हुई जल रोकने की संरचना तथा पश्चिम दिशा में 400 मीटर पर आबादी है अतः इसकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित सी.ई.आर. से संबंधित कार्यो (जैसे गांव की रोड़ का निर्माण) के पालन हेतु की गई कार्यावाही के प्रमाणिक दस्तावेज मय फोटोग्राफ के ई.आई.के. साथ प्रस्तुत किये जाये । इसी प्रकार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्त अनुसार गारलेंड ड्रेन/सेटलिंग टेंक एवं किये गये समस्त वृक्षारोपण की जानकारी मय फोटोग्राफ एवं लेट–लॉग के ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ प्रस्तुत किये जाये । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–34 के सरल क्रमांक–15 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. लीज के दक्षिण पश्चिम दिशा में लीज से लगी हुई जल रोकने की संरचना तथा पश्चिम दिशा में 400 मीटर पर आबादी है अतः इसकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।

2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ (Coordinate) सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. चूंकि प्रकरण क्षमता विस्तार का है अतः पूर्व पयावणीय अभिस्वीकृति का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ई.अर्इा.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित सी.ई.आर. से संबंधित कार्यो (जैसे गांव की रोड़ का निर्माण) के पालन हेतु की गई कार्यावाही के प्रमाणिक दस्तावेज मय फोटोग्राफ (Coordinate) ई.आई.के. साथ प्रस्तुत किये जाये ।
6. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्त अनुसार गारलेंड ड्रेन/सेटलिंग टेंक एवं किये गये समस्त वृक्षारोपण की जानकारी मय फोटोग्राफ एवं लेट–लॉग के ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ प्रस्तुत किये जाये ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. क्षमता विस्तार के परिपेक्ष्य में कार्बन फुट प्रिट का विश्लेषण कर जानकारी ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

**12. <u>Case No 9664/2023 Shri Nitish Chaturvedi, Owner, R/o 6 Km Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Luhani Rock Phosphate Mine in an area of 13.20 ha. (Proposed capacity expansion 1,00,000 TPA to 2,00,000 TPA) (Khasra No. 1008, 1007, 1005/1, 1005/2, 1006, 1003/1, 1003/2, 1002, 1001, 984, 979, 980, 978, 975, 1028/9, 1028/10, 1028/11, 1028/12 Gvot. and Private land), Village-Luhani, Tehsil-Bakswaha, District-Chhatarpur (MP)</u>**

This is case of Rock Phosphate Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1008, 1007, 1005/1, 1005/2, 1006, 1003/1, 1003/2, 1002, 1001, 984, 979, 980, 978, 975, 1028/9, 1028/10, 1028/11, 1028/12), Village-

Luhani, Tehsil-Bakswaha, District-Chhatarpur (MP) 13.20 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नितीश चतुर्वेदी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार Shri Sanjay Singh, M/s. Aplinka Solutions & Technologies Pvt. Ltd. NOIDA, (U.P.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 428 दिनांक 31.05.2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार से संबंधित है जिसकी पूर्व पर्यावर्णीय स्वीकृति वर्ष 2015 तत्कालीन परियोजना प्रस्तावक मे0. खजुराहो स्टोन्स (इंडिया) प्रा0. लि0.के नाम से जारी हुई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के अंदर से उत्तरी दिशा से हॉलेज रोड निकल रही है। लीज का पूर्वी भाग आंशिक रूप से खुदा हुआ है एंव लीज के अंदर पश्चिम एंव उत्तरी ओर कुछ संरचना दिखाई दे रही है उपरोक्त संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण क्षमता विस्ताव का है अतः पूर्व में किये गये खनन् कार्यो के कारण पिट दिखाई दे रही है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि चूंकि प्रकरण क्षमता विस्तार का है अतः पूर्व पयावणीय अभिस्वीकृति का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

**प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि ऑन अपलोडिड खनन् योजनानुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 99,992 टन प्रतिवर्ष है तथा आवेदन क्षमता विस्तार हेतु 2,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि बढी हुई उत्पादन क्षमता हेतु खनन् योजना के अनुमोदन का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है अतः हमें टॉर दे दिया जाये तथा हम ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित खनन् योजना प्रस्तुत कर देगे अथवा हमे अनुमोदित खनन् योजना प्रस्तुत करने हेतु 03 सप्ताह का समय दिया जाये । समिति ने चर्चा कर अनुशंसा की कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के अपेंडिक्स–XI के अनुसार आवेदन के साथ पी.एफ.आर एवं अनुमोदित खनन् योजना प्रस्तुत की जाना आवश्यक है अतः बिना अनुमोदित खनन् योजना के इस प्रकरण पर टॉर जारी किया जाना उचित नही है। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाहे अनुसार उनको अनुमोदित खनन् योजना प्रस्तुत करने हेतु 21 दिन का समय दिया जाये तदुपरांत टॉर पर निर्णय लिया जायेगा ।**

13. **Case No 9651/2023 M/s T.N.C. Enterprises, Authorized Signatory, Shri Rohit Agrawal, 24, Empire Estate By Pass Indore, District-Indore (MP)-452012 Prior Environment Clearance for Pitawali Stone (Gitti – 50,000 Cum per annum & M-Sand- 50,000 Cum per annum) (Total Capacity :1,00,000 Cum per annum), Quarry in an area of 3.980 ha. (Khasra No. 440/1, 440/2, 441, 442, 456/1, 456/2, 461, 462, 455 Private Land), Village-Pitawali, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP).**

This is case of Stone (Gitti & M-Sand) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 440/1, 440/2, 441, 442, 456/1, 456/2, 461, 462, 455), Village-Pitawali, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) 3.980 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

# 624वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 26 फरवरी 2023

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, ग्रीन सर्कल आईएनसी. वडोदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 54 दिनांक 11/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 140 मीटर की दूरी पर पक्का रोड है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी में है। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 3468 दिनांक 30/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट सिया से अनुमोदित की जा चुकी है। उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रकिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण दिशा में 140 मीटर की दूरी पर रोड है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि है तथा आस–पास काफी कृषि भूमि दृष्टिगत हो रही है अतः परियोजना प्रस्तावक इस प्रस्तावित खनन् के कारण आस–पास की कृषि भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

7. यह जानकारी भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे कि खनन् हेतु आवंटित भूमि की 20 साल तक की स्थिति में कृषि उपज की ईकोनोमिक वेल्यू कितनी है तथा इस जिले में परियोजना प्रस्तावक की कुल लेंड होलडिंग कितनी है ।
8. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
9. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

**14. <u>Case No 9654/2023 Smt. Pooja Patidar W/o Shri Sunil Patidar R/o Village-Bharbhadiya, Tehsil-Neemuch, District-Neemuch (MP)-458441, Prior Environment Clearance for Suwakheda Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.240 ha. (20,000 Cum per annum) (Khasra No. 21, 22, 24, 33, 38 Govt. Land), Village-Suwakheda, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP)</u>**

This is case of Stone (Gitti) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 21, 22, 24, 33, 38), Village-Suwakheda, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP) 3.240 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पूजा पाटीदार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, अपेक्स माइनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 61 दिनांक 11/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 490 मीटर की दूरी पर आबादी तथा उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान में अत्याधिक संख्या में पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी में है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–32 के सरल क्रमांक–4 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 490 मीटर की दूरी पर आबादी तथा उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में अत्याधिक संख्या में पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**15. <u>Case No 9655/2023 Shri Sukhjinder Sandhu R/o Ward No. 7, Khalsa Colony, District-Ashok Nagar (MP)-473331, Prior Environment Clearance for Badera Granite Mine in an area of 2.00 ha. (5,000 Cum per annum) (Khasra No. 669), Village-Badera, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP).</u>**

This is case of Granite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 669), Village-Badera, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुखजिंदर संधू (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंग, मे0. ए सीरीज इंवारोटेक इंडिया प्रा. लि. नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 164 दिनांक 18/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पश्चिम एंव पूर्व दिशा मे कुछ भाग खुदा हुआ दिख रहा है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना पिट है जिसे सरफेस मेप दिखाया गया है तथा हमको खदान् इसी स्थिति में

प्राप्त हुई है । खदान के पूर्व दिशा में लगभग 490 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला, उत्तर दिशा मे एक कच्ची रोड 119 मी. पर एंव दक्षिण–पश्चिमी दिशा में 170 मीटर पर शेड है। शेड के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि संभवतः यह गौशाला है । समिति ने चर्चा कर अनुशंसा की कि यदि यह गौशाला है तो उसका संपूर्ण विवरण जैसे कितनी गाये है, क्या–क्या अद्योसरंचना वहां विकसित है उसकी जानकारी ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । इसी प्रकार खदान से एक पक्का रोड दक्षिण दिशा में लगभग 665 मी., 870 मी. पर दक्षिण दिशा में राजघाट डेम एंव 925 मी. पूर्व मे बेतवा नदी है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रस्तुतीकरण के समय परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में ओवर वर्डन हटान के लिए ब्लस्टिंग की जायेगी तथा उत्पादन वॉयर–सॉ के माध्यम से किया जायेगा । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी में है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–44 के सरल क्रमांक–30 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में लगभग 490 मीटर की दूरी बरसाती नाला, उत्तर दिशा मे एक कच्ची रोड 119 मी. पर एंव दक्षिण–पश्चिमी दिशा में 170 मीटर पर शेड है। इसी प्रकार खदान से एक पक्का रोड दक्षिण दिशा में लगभग 665 मी., 870 मी. पर दक्षिण दिशा में राजघाट डेम एंव 925 मी. पूर्व मे बेतवा नदी है अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**16. <u>Case No 9656/2023 M/s Rawat Minerals, Proprietor, Shri Akash Rawat, R/o Purani Basti, Jalpa Devi Ward, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Malhan Dolomite Deposit Quarry in an area of 3.370 ha. (16,854 tonnne per annum and Saleable Waste – 6360 Cub per annum) (Khasra No. 116, 117, 118 Private Land), Village-Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)</u>**

This is case of Dolomite Deposit Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 116, 117, 118), Village-Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) 3.370 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुखजिंदर संधू (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, ग्रीन सर्कल आईएनसी. वडोदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 21/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में लगभग 12 मीटर एंव दक्षिण में 429 मी. पर कच्चा रोड है, तथा जल रोकने की संरचना क्रमशः 289 मी. एंव एक तालाब 256 मी. दक्षिण दिशा में है। अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में अत्याधिक संख्या में पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी सिया द्वारा अनुमोदित नहीं है, चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी का है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करें, जिनमे इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में लगभग 12 मीटर एंव दक्षिण में 429 मी. पर कच्चा रोड है, तथा जल रोकने की संरचना क्रमशः 289 मी. एंव एक तालाब 256 मी. दक्षिण दिशा में है। अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में अत्याधिक संख्या में पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ फोटोग्राफ एवं ईकोलॉजिकल डेमेज असेसमेंट कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित स्थल बाघ का भ्रमण क्षेत्र तो नही है, संबंधी प्रमाण–पत्र संबंधित वन मंडलाधिकारी से प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि है तथा आस–पास काफी कृषि भूमि दृष्टिगत हो रही है अतः परियोजना प्रस्तावक इस प्रस्तावित खनन् के कारण आस–पास की कृषि भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
6. यह जानकारी भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे कि खनन् हेतु आवंटित भूमि की 20 साल तक की स्थिति में कृषि उपज की ईकोनोमिक वेल्यू कितनी है तथा इस जिले में परियोजना प्रस्तावक की कुल लेंड होलडिंग कितनी है ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

**17. <u>Case No 9657/2023 Shri Sushil Sudele, Lease Owner, R/o M-48, Gali-04, Dwarka Nagar, Coach Factory Road, District-Bhopal (MP)-462010, Prior Environment Clearance for Barkheda Bondar Stone Mine in an area of 4.00 ha. (9,975 cum per annum) (Khasra No. 2, 3 Govt. Land), Village-Barkheda Bondar, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)</u>**

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुशील सुडेले (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, ग्रीन सर्कल आईएनसी. वडोदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 26 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर इस प्रकरण की गूगल इमेज एक अन्य पुराने प्रकरण क्रमांक 8770/2021 को आधे भाग से इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने अनुरोध किया कि उन्हें टॉर दे दिया जाये तथा वे ई.आई.ए. के साथ डीजीपीएस से को–आर्डिनेट ज्ञात कर उनका सत्यापन संबंधित खनिज अधिकारी से कराकर प्रस्तुत कर देंगे । समिति ने पाया कि संभवतः इस प्रकरण (क्रमांक 8770/2021) में सिया द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी कर दी गई है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् कार्य शुरू कर दिया गया होगा। समिति ने प्रकरण के साथ ऑनलाईन अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया और पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी इस खदान के को–आर्डिनेट नहीं दिए गए है । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान (Case No 9657/2023) के डीजीपीएस को–आर्डिनेट प्राप्त कर उनको

संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष 15 दिवस में प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके।

**18. <u>Case No 9659/2023 M/s Shree Krishna Mineral, Mamta Malpani, JV, R/o 119, Radhe Kishan Ward, Shobhapur Road, Pipariya, District-Hoshangabad (MP)-461775, Prior Environment Clearance for Badera Granite Mine in an area of 4.00 ha. (8,335 cum per annum) (Khasra No. 669), Village-Badera, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)</u>**

This is case of Granite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 669), Village-Badera, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक सुश्री ममता मालपानी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंग, मे0. ए सीरीज इंवारोटेक इंडिया प्रा. लि. नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 197 दिनांक 11/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में लगभग 328 मीटर की दूरी पर एक मौसमी नाला, पक्का रोड दक्षिण दिशा में लगभग 690 मी., 870 मी. पर, दक्षिण दिशा में राजघाट डेम 860 मी. एवं पूर्व मे बेतवा नदी 760 मी. पर है। अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रस्तुतीकरण के समय परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में ओवर वर्डन हटान के लिए ब्लास्टिंग की जायेगी तथा उत्पादन वॉयर–सॉ के माध्यम से किया जायेगा । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 44 एंव सरल क्र0. 31 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में लगभग 328 मीटर की दूरी पर एक मौसमी नाला, पक्का रोड दक्षिण दिशा में लगभग 690 मी., 870 मी. पर, दक्षिण दिशा में राजघाट डेम 860 मी. एवं पूर्व मे बेतवा नदी 760 मी. पर है। अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

**19. <u>Case No 9662/2023 Shri Aditya Soliwal, Lessee, R/o Sarafa Bazar, Opposite Ganesh Temple, Tehsil-Jawad District-Neemuch (MP)-458441, Prior Environment Clearance for Suwakheda Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.929 ha. (20,000 Cum per annum) (Khasra No. 12, 13, 14, 15, 23 Govt. Land), Village-Suwakheda, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP)</u>**

This is case of Stone (Gitti) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 12, 13, 14, 15, 23), Village-Suwakheda, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP) 3.929 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अदित्य सोलीवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स माईनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 62 दिनांक 11/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के प्रश्नाधीन खदान पेडो से आच्छादित है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा की एनओसी अपलोड नहीं की गई है, चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ ग्रामसभा की एनओसी प्रस्तुत करें । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–32 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण

के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ. आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के प्रश्नाधीन खदान पेडो से आच्छादित है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा की एनओसी अपलोड नहीं की गई है, चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ ग्रामसभा की एनओसी प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**20. <u>Case No 9663/2023 Smt. Nisreen Pakawala, Lessee, Village-Rampuriya, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Rampuriya Stone Quarry for Gitti – (Expansion from 5044 to 13,500 Cubic Meter/Year) and M-Sand-31,500 Cubic Meter/Year in an area of 2.00 ha. (Total Capacity- 45,000 Cum per annum) (Khasra No. 273/16, 273/17), Village-Rampuriya, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry for Gitti and M-Sand. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 273/16, 273/17), Village-Rampuriya, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती नसरीन पकावाला (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स माईनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1902 दिनांक 17/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण – पश्चिम दिशा में 17 मी. पर मौसमी नाला, पूर्व दिशा में 104 मी. पर नदी है, उत्तर दिशा में 390 मी. पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रकरण में पूर्व में डिया के पत्र क्रमांक 550 दिनांक 22/02/17 के माध्यम से स्टोन – 5044 घनमीटर/वर्ष की ई.सी. प्राप्त है तथा बोर्ड से संचालन सम्मति प्राप्त स्टोन – 5044 घनमीटर/वर्ष हेतु प्राप्त है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण क्षमता विस्तार एवं अतिरिक्त रूप से एम–सेंड की स्थापना का है तथा पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की शर्तो का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् स्थल पर क्रेशर प्लांट की स्थापना का कार्य गूगल इमेज अनुसार वर्ष 2022 से शुरू किया जा चुका है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सम्मति प्राप्त कर क्रेशर की स्थापना की जा रही है। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–16 के सरल क्रमांक–91 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण – पश्चिम दिशा में 17 मी. पर मौसमी नाला, पूर्व दिशा में 104 मी. पर नदी है, उत्तर दिशा में 390 मी. पर आबादी (बिखरी हुई) तथा एक कच्ची रोड खदान क्षेत्र में से होकर जा रही है। अतः इनकी संरक्षण योजना (नाले के कारण एच.एफ.एल. से) एंव आवश्यक गैर खनन क्षेत्र छोडते हुये संपूर्ण विवरण के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रकरण क्षमता विस्तार एवं अतिरिक्त रूप से एम–सेंड की स्थापना का है, अतः पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की शर्तो का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**21. <u>Case No 9670/2023 M/s. Universla Resources, Partner, Shri Subhash Chand Bansal, R/o MIG-II, Housing Board Colony, Near Shanti Nagar, District-Katni (MP)-483773, Prior Environment Clearance for Bhadawar Dolomite Mines in an area of 1.777 ha. (50,704 Tones per annum) (Khasra No. 640, 639, 649 Private Land), Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)</u>**

This is case of Dolomite Mines. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 640, 639, 649), Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) 1.777 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मे0. ए सीरीज इंवारोटेक इंडिया प्रा. लि. नोएडा (उ. प्र) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 94 दिनांक 23/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण श्री के. दुर्गाराव के नाम से (Dolomite – 19000 TPA) लीज वर्तमान परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र बंसल को स्थानांतरित हुई है और वर्तमान उत्पादन क्षमता Dolomite – 50704 TPA बढ़ाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु केस फाईल किया गया है (पूर्व में इस प्रकरण में डिया के पत्र क्रमांक 235 दिनांक 01/10/18 के माध्यम से Dolomite – 19000 TPA हेतु ई.सी श्री के. दुर्गाराव के नाम से प्राप्त है) । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा आवेदन नवीन प्रकरण के रूप में किया गया है ।

**समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया एवं पाया कि प्राथमिक तौर पर प्रकरण क्षमता विस्तार का प्रतीत होता है, अतः समिति का मत है कि इस स्थिति में यह प्रकरण सिया की अनुशंसा एवं नीतिगत निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये कि ऐसे प्रकरणों को नवीन प्रकरण मानकर परीक्षण किया जाये या क्षमता विस्तार का ताकि उसी आधार पर आवेदक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें, क्योंकि डिया से संबंधित ऐसे कई आवेदन / प्रकरण मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए नं. 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 के अनुक्रम में सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में लिए गए नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होने की संभावना है ।**

**22. <u>Case No 9673/2023 Smt. Lalita Patidar, Lessee, R/o H.No. 19/51, Maharana Bangla, District-Neemuch (MP)-458441, Prior Environment Clearance for Girdouda M-Sand 30,000 Cum/Y an area of 1.70 ha. (Khasra No. 120 Private Land), Village-Girdouda, Tehsil-Neemuch, District- Neemuch (MP)</u>**

This is case of Stone and M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 120), Village-Girdouda, Tehsil-Neemuch, District- Neemuch (MP) 1.70 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती ललिता पाटीदार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स माईनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 70 दिनांक 12/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में 500 मीटर से अधिक की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग / रोड है, अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–23 के सरल क्रमांक–44 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. खदान के पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में 500 मीटर से अधिक की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग / रोड है, अतः इनकी संरक्षण योजना संपूर्ण विवरण के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि है तथा आस–पास काफी कृषि भूमि दृष्टिगत हो रही है अतः परियोजना प्रस्तावक इस प्रस्तावित खनन् के कारण आस–पास की कृषि भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
4. यह जानकारी भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे कि खनन् हेतु आवंटित भूमि की 20 साल तक की स्थिति में कृषि उपज की ईकोनोमिक वेल्यू कितनी है तथा इस जिले में परियोजना प्रस्तावक की कुल लेंड होलडिंग कितनी है ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

**23. <u>Case No 9442/2022 M/s Vikash Minerals, R/o A-10, Laxmi Narayan State, Rewa Road, Tehsil Raghurajnagar, District Satna (MP)-485001 Prior Environment Clearance for Laterite & Ocher Deposit in an area of 11.295 ha. (Laterite -1,90,000 TPA, Ocher 7408 TPA) (Khasra No. 90, 88/1ka, 88/1kha-2, 88/1kha-3, 88/1kha-4, 88/2 and 90), Village - Amriti, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP)</u>**

This is case of Laterite & Ocher Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 90, 88/1ka, 88/1kha-2, 88/1kha-3, 88/1kha-4, 88/2 and 90), Village - Amriti, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 11.295 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

# 624वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 26 फरवरी 2023

प्रकरण सेक की पूर्व 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष दुबे (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1332 दिनांक 13/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है। चूँकि प्रस्तावित खदान का कुल रकबा 5.00 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 260 मीटर पर, पश्चिम दिशा में 300 मीटर एवं दक्षिण दिशा में 120 मीटर पर आबादी है अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। इसी प्रकार खदान के बीचोबीच से एक पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी सरंक्षण योजना मय सेटबैक के ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1961 दिनांक 14/11/22 के द्वारा सूचित किया गया कि डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022–23 में बनी है, जिसमें ग्राम अमिरती है । उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया (उत्खनि पट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा शामिल किया जावेगा। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. खदान के पूर्व दिशा में 260 मीटर पर, पश्चिम दिशा में 300 मीटर एवं दक्षिण दिशा में 120 मीटर पर आबादी है अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। इसी प्रकार खदान के बीचोबीच से एक पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी सरंक्षण योजना मय सेटबैक के ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

7. चूँकि आंवटित स्थल का कुछ भाग पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित स्थल बाघ का भ्रमण क्षेत्र नही है संबंधी प्रमाण–पत्र संबंधित वन मंडलाधिकारी से प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।
11. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

सिया की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 को अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो–बीच से एक पक्की सड़क होना परिलक्षित है । मान्नीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा–निर्देश अनुसार खनन् प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है । चूँकि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित खदान के बीचो–बीच पक्की सड़क होने के कारण न्यूनतम् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होना परिलक्षित है । अतः खनन् गतिविधियों के कारण आवागमन पक्की सड़क के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया । उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31/12/2022 के माध्यम से प्रकरण में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए प्रकरण पर पुनर्विचार किये जाने एवं प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

सिया की 765वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत सलाहकार श्री अमर सिंह यादव प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध में बताया गया कि प्रकरण लेटेराईट ऑकर का है, जिसमें ब्लास्टिंग जैसी गतिविधियॉ नहीं होती है तथा सीपीसीबी मापदण्ड अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो–बीच से निकल रही पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् भी 11.295 हे. में से 4.085 हे. एरिया खनन् हेतु उपलब्ध होता है एवं उक्त सड़क को खदान के उत्तर दिशा से स्वयं के व्यय पर परिवर्तित करने का भी लेख करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है । सिया द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरांत प्राधिकरण की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 में लिय गये निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वार प्रस्तुत जानकारी पर पुनर्विचार कर प्रकरण को Re-open किया जाता है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 26/02/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष दुबे (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक

ने बताया कि उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण ऑकर के खनन् का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । **समिति ने पाया कि यह प्रकरण पूर्व में सेक की पूर्व 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसके कार्यवाही विवरण में यह उल्लेखित था कि *"इसी प्रकार खदान के बीचोबीच से एक पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी सरंक्षण योजना मय सेटबैक के ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें"* तथा उसी के आधार पर टॉर की अनुशंसा की गई थी । यदि प्रकरण के साथ प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना का अवलोकन हो तो उसमें प्रस्तुत सरफेस प्लॉन में रोड़ के दोनों 50–50 मीटर का सेटबैक पूर्व से ही छोड़ा गया है तथा प्रोडक्शन प्लॉन में भी रोड़ वाले क्षेत्र में खनन् प्रस्तावित नहीं है ।** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्टेण्डर्ड टॉर अनुसार आवंटित क्षेत्र के कोर जोन एवं बफर जोन में स्थित सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए ई.आई.ए. में उनकी संरक्षण योजना तथा ई.एम.पी. में समुचित वित्तीय प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं तथा ई.आई.ए. परीक्षण के दौरान उसी आधार पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिये जाने संबंधी अनुशंसा की जाती है । अतः समिति सेक की पूर्व 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को भेजे जाने की अनुशंसा करती है ।

**24. <u>Case No 9446/2022 M/s Bansal Khanij Udyog, Prop. Shri Ramchandra Bansal R/o Ward No.8 In front of Agarwal Dharamsala, Jaitwara, District Satna (MP) Prior Environment Clearance for Ocher Quarry in an area of 10.683 ha. (83074 TPA) (Khasra No. 04), Village - Jamuwani, Tehsil - Birsinghpur, Dist. Satna (MP)</u>**

This is case of Ocher Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 04), Village - Jamuwani, Tehsil - Birsinghpur, Dist. Satna (MP) 10.683 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रामचंद्र बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1625 दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, चूँकि प्रस्तावित खदान का कुल रकबा 5.00 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर स्थित है, जिसके अंदर पहाड़ के शिखर पर एक मंदिर (मुंडा माता जामवानी) स्थापित है तथा मंदिर तक का पहुँच मार्ग भी दृष्टिगत हो रहा है अतः इनकी सरंक्षण योजना तथा मंदिर की सुरक्षा हेतु आमजन के सुझाव/आपत्ति प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। आवंटित खनन् क्षेत्र की पश्चिमी सीमा से 05 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 16 मीटर के दूरी पर एक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की

जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित 10.00 हे. क्षेत्र में से खनन् कार्य मात्र 04–05 हे. क्षेत्र में ही किया जाना प्रस्तावित जो पहाड़ के नीचे की ओर (फुटहिल) स्थित है जिसके संदर्भ समिति ने निर्देशित किया कि परियोजना प्रस्तावक स्टेबिलिटी स्टडी करवा कर रिर्पोट ई.आई.के. साथ प्रस्तुत करेगे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–170 के सरल क्रमांक–162 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर स्थित है, जिसके अंदर पहाड़ के शिखर पर एक मंदिर (मुंडा माता जामवानी) स्थापित है तथा मंदिर तक का पहुॅच मार्ग भी दृष्टिगत हो रहा है अतः इनकी सरंक्षण योजना तथा मंदिर की सुरक्षा हेतु आमजन के सुझाव/आपत्ति प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. आवंटित खनन् क्षेत्र की पश्चिमी सीमा से 05 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 16 मीटर के दूरी पर एक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
4. आवंटित 10.00 हे. क्षेत्र में से खनन् कार्य मात्र 04–05 हे. क्षेत्र में ही किया जाना प्रस्तावित जो पहाड़ के नीचे की ओर (फुटहिल) स्थित है जिसके संदर्भ समिति ने निर्देशित किया कि परियोजना प्रस्तावक स्टेबिलिटी स्टडी करवा कर रिर्पोट ई.आई.के. साथ प्रस्तुत करेगे ।
5. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
9. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. चूॅकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
12. ओव्हर बर्डन, स्वाईल वॉटर कंजरवेशन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
13. आवंटित स्थल बाघ का भ्रमण क्षेत्र नही है संबंधी प्रमाण–पत्र संबंधित वन मंडलाधिकारी से प्राप्त कर ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।

14. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

सिया की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 को प्रस्तावित खदान के पश्चिम दिशा में कच्ची सड़क व खदान क्षेत्र पहाड़ पर मुंडा माता का मंदिर परिलक्षित है, अतः खनन् गतिविधियों के कारण मानव बसाहट के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों खदान पहाड़ पर मंदिर को रदखेत हुए प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया ।

उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31/12/2022 के माध्यम से एवं सिया की 765वीं बैठक दिनांक 10/01/2023 को प्राधिकरण के समक्ष परियेाजना प्रस्तावक के सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित होकर प्रकरण के संबंध में बताया कि प्रकरण ऑकर का है, जिसमें ब्लास्टिंग जैसे गतिविधियॉ नहीं होती है तथा सीपीसीबी मापदण्ड अनुसर आबादी एवं कच्ची सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् भी 10.683 हे. में से 3.77 हे. एरिया खनन् हेतु उपलब्ध होता है के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। सिया द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरांत प्राधिकारी की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/22 में लिए गए निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुनर्विचार कर प्रकरण को रि–ओपन करते हुए परियेाजना प्रस्तावक/ पर्यावरण सलाहकार द्वार प्रस्तुत तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 26/02/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रामचंद्र बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए, जिसमें परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा आवंटित 10.00 हे. क्षेत्र में से खनन् कार्य मात्र 04–05 हे. क्षेत्र में ही किया जाना प्रस्तावित जो पहाड़ के नीचे की ओर (फुटहिल) स्थित है तथा वे समिति द्वारा अनुशंसित स्टेबिलिटी स्टडी करवा कर रिर्पोट ई.आई.के. साथ प्रस्तुत करेगे ।

समिति ने पाया कि यह प्रकरण पूर्व में सेक की पूर्व 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसके कार्यवाही विवरण में यह उल्लेखित था कि *''खदान पहाड़ी पर स्थित है, जिसके अंदर पहाड़ के शिखर पर एक मंदिर (मुंडा माता जामवानी) स्थापित है तथा मंदिर तक का पहुॅच मार्ग भी दृष्टिगत हो रहा है अतः इनकी सरंक्षण योजना तथा मंदिर की सुरक्षा हेतु आमजन के सुझाव/आपत्ति प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित 10.00 हे. क्षेत्र में से खनन् कार्य मात्र 04–05 हे. क्षेत्र में ही किया जाना प्रस्तावित जो पहाड़ के नीचे की ओर (फुटहिल) स्थित है जिसके संदर्भ समिति ने निर्देशित किया कि परियोजना प्रस्तावक स्टेबिलिटी स्टडी करवा कर रिर्पोट ई.आई.के. साथ प्रस्तुत करेगे''* तथा उसी के आधार पर टॉर की अनुशंसा की गई थी ।
समिति ने पाया कि सिया की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 में प्रकरण को निरस्त किया गया तथा निरस्त करने का जो कारण (*एक मंदिर – मुंडा माता जामवानी)* दर्शाया गया है, उसके सरंक्षण हेतु सेक द्वारा टॉर में ही अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्टेण्डर्ड टॉर अनुसार आवंटित क्षेत्र के कोर जोन एवं बफर जोन में स्थित सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को

ध्यान में रखते हुए ई.आई.ए. में उनकी संरक्षण योजना तथा ई.एम.पी. में समुचित वित्तीय प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं तथा ई.आई.ए. परीक्षण के दौरान उसी आधार पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिये जाने संबंधी अनुशंसा की जाती है । अतः समिति सेक की पूर्व 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को भेजे जाने की अनुशंसा करती है।

**25. <u>Case No 9445/2022 M/s Sky Light Infrastructure, Partner Shri Pawan Kumar Tiwari Village - Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (49875 Cum per year) (Khasra No. 33/1/3, 33/1/6, 33/1/2, 24/2/ka, 42/1, 42/3/ka, 44/1, 45/1, 42/2, 44/2, 45/2 & 26/1), Village - Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 33/1/3, 33/1/6, 33/1/2, 24/2/ka, 42/1, 42/3/ka, 44/1, 45/1, 42/2, 44/2, 45/2 & 26/1), Village - Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की पूर्व की 610 वीं बैठक दिनांक 08/12/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पवन कुमार तिवारी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर आबादी, दक्षिण दिशा में 15 मीटर पर कुछ मकान तथा उत्तर दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग लगभग 225 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29/08/2022 वन क्षेत्र 252 मीटर दूर है । उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशंसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 225 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराते हुए जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, सागर के पेज नं.–80 के सरल क्रमांक–36 पर दर्ज है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण

में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर आबादी, दक्षिण दिशा में 15 मीटर पर कुछ मकान तथा उत्तर दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग लगभग 225 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29/08/2022 वन क्षेत्र 252 मीटर दूर है । उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशंसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 225 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराते हुए जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित स्थल बाघ का भ्रमण क्षेत्र नही है संबंधी प्रमाण–पत्र संबंधित वन मंडलाधिकारी से प्राप्त कर ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
12. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

प्रकरण में सिया की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 को प्रकरण गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 120 मीटर पर आबादी, में 15 मीटर पर कुछ मकान, उत्तर दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला दक्षिण दिशा में 30 मीटर पर पक्की सड़क होना परिलतिक्षत है । अतः खनन् गतिविधियों के कारण मानव बसाहट व आवागमन मार्ग के कारण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से प्रकरण को निरस्त (Reject) किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक ने द्वारा ई–मेल दिनांक 31/12/2022 के माध्यम से प्रकरण में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए प्रकरण पर पुनर्विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया :–

1. प्रकरण में प्रस्तुत माईनिंग प्लॉन नॉन ब्लास्टिंग का है ।
2. पक्की सड़क से 100 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से 50 मीटर छोड़ने के पश्चात् उत्खनन् कार्य किया जायेगा ।
3. उत्खनन् पट्टे के पास में दर्शित मकान परियोजना प्रस्तावक के स्वयं का है ।

सिया की 765वीं बैठक दिनांक 10/01/2023 को सिया की पूर्व की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 में लिए गए निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुनर्विचार कर प्रकरण को रि–ओपन किया जाता है एवं परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किए गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 26/02/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पवन कुमार तिवारी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में ब्लास्ंिग प्रस्तावित नहीं है तथा रोड़ के सरंक्षण की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जावेगी तथा नॉन ब्लास्टिंग होने के कारण 100 मीटर का सेटबैक प्रस्तावित किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्खनिपट्टें के पास जो मकान है, वह परियोजना प्रस्तावक का स्वयं का है तथा इस संबंध में प्रमाणिक जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जावेगी । समिति ने पाया कि यह प्रकरण पूर्व में सेक की पूर्व 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसके कार्यवाही विवरण में यह उल्लेखित था कि *''खदान के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर आबादी, दक्षिण दिशा में 15 मीटर पर कुछ मकान तथा उत्तर दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें''* तथा उसी के आधार पर टॉर की अनुशंसा की गई थी । पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्टेण्डर्ड टॉर अनुसार आवंटित क्षेत्र के कोर जोन एवं बफर जोन में स्थित सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए ई.आई.ए. में उनकी संरक्षण योजना तथा ई.एम.पी. में समुचित वित्तीय प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं तथा ई.आई.ए. परीक्षण के दौरान उसी आधार पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिये जाने संबंधी अनुशंसा की जाती है । अतः समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/02/23 को प्रस्तुतीकरण के दौरान दिए गए प्रस्ताव एवं सेक की पूर्व 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को भेजे जाने की अनुशंसा करती है।

**26. अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा –**

अ. समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि कईबार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोडेड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पठनीय नहीं होती, अतः समिति का सुझाव है कि सिया द्वारा आज दिनांक तक जितनी भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो का अनुमोदन किया गया है, उनकी प्रति सिया की बेवसाइट पर अपलोड कर दी जाये, ताकि प्रकरणों के परीक्षण के दौरान उनको उद्घृत (Refer) किया जा सके ।

ब. इसी के साथ समिति के ध्यान में लाया गया कि सेक की 620वी बैठक दिनांक 13/01/23 में जिला सर्वेक्षण रिर्पोट कटनी पर चर्चा की गई थी जिसमें पाया कि *''चेप्टर क्रमांक–25 के अंतर्गत सरल क्रमांक–9, 18, 19 इत्यादि में किये गए वृक्षारोपणों की संख्या दी गई है, उनको जब नमूने के तौर पर (रेन्डमली) सत्यापन करने पाया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को–आर्डिनेट अनुसार गूगल पर देखने से किए गए वृक्षारोपण के संख्या की पुष्टि नहीं होती तथा ऐसा प्रतीत होता है कि दी गई जानकारी में त्रुटि है, अतः समिति की अनुशंसा है कि संबंधित खनिज अधिकारी उपरोक्त जानकारी को पुनः सत्यापित कर वास्तविक वृक्षों की संख्या के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को पुनः समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें''।* सेक की उपरोक्त अनुशंसा के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा कटनी म.प्र. से प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा ने पत्र क्रमांक 333 दिनांक 23/02/23 (ई–मेल से प्राप्त) सूचित किया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में वृक्षारोपण के संबंध में प्रस्तुत की गई जानकारी भौतिक सत्यापन अनुसार खदान् क्षेत्र तथा खदान् क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपण के आधार पर कि गई है तथा गूगल द्वारा वृक्षारोपण की संख्यात्मक रूप से परीक्षण किया जाना संभव नही होने से इस कार्यालय द्वारा प्रेषित जानकारी को मान्य किया जा कर जिला सर्वेक्षण रिर्पोट का अनुमोदन करे। समिति ने उपरोक्त पत्र पर चर्चा कर पाया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/7/18 की कंडिका II के बिंदु 26 अनुसार ''जिले में पहले से ही अनुदत्त पट्टो के संबंध में पौधारोपण और हरित पट्टी विकास'' की जानकारी दी जानी है जबकि प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा उपरोक्त पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि खदान् क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपणों को भी खदान् क्षेत्र में शामिल किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदान् क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपणो की जानकारी का समावेश किया जाना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुसार आवश्यक है । अतः समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूंकि इस जिले की जिला सर्वेक्षण रिर्पोट का अनुमोदन लंबित है तथा इसके शीघ्र निराकरण हेतु प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा कटनी म.प्र. को सेक की आगामी बैठक में उपस्थित होने बावत् सूचित किया जाये ताकि उनसे चर्चा एवं समझाईश दे कर जिला सर्वेक्षण रिर्पोट प्रस्तुत कराई जा सके । समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, कटनी म.प्र जिले में अनुदत्त पट्टो में किये गये पौधारोपण और हरित पट्टी विकास की सत्यापित जानकारी पुनरीक्षित कर अद्तन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट भी प्रेषित कर दे ताकि बैठक के दिन उनके साथ चर्चा कर इन पर निर्णय लिया जा सके ।

स. मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए नं. 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 के अनुक्रम में सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में लिए गए नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में डिया से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कई प्रकरण पुनः परीक्षण (Re-Visit) हेतु प्राप्त होना संभावित है । आज की बैठक के दौरान एक प्रकरण (Case No 9670/2023) का अवलोकन हो, जिसमें परियोजना प्रस्तावक ने उत्पादन क्षमता बढाकर क्षमता विस्तार के प्रकरण के स्थान पर नवीन आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें परियोजन प्रस्तावक का मानना था कि चूकिं उनका प्रकरण निरस्त किया जा चुका है अतः उनके द्वारा नवीन आवेदन किया गया है परन्तु Committee का मत है कि यह प्रकरण निरस्त नही हुआ है बल्कि Re-list का है NGT के निर्णय अनुसार अतः ऐसे प्रकरणो पर निम्न प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है:–

(1) Re-appraisal (NGT के निर्देशनुसार Re-appriasal होना है न कि Re-visit जैसा दिनांक 11/01/23 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है)

(2) Fresh Case

(3) Expansion (जहां lease area बढा हो या production capacity बढी है)

(4) कुछ प्रकरण ऐसे होगे जिसमें पूर्व में क्षेत्र 25 हे. से कम होने कारण क्लास्टर न मानते हुए, बी–2 श्रेणी में उनका एप्राइज किया गया था जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 5.0 हे. से अधिक क्षेत्रफल वाले प्रकरण बी–1 की श्रेणी में एप्राइज किये जाने है । इस स्थित में क्या श्रेणी बी–2 होगी या बी–1 होगी इस पर निर्णय।

(5) क्या वृक्षारोपण/सीईआर में स्थल विशेष की पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए नयी शर्त परियोजना प्रस्तावक पर अधिरोपित की जा सकती है जैसे : पूर्व में वृक्षारोपण हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं थे जबकि वर्तमान में प्रति हेक्टेयर 1000 पौधें लगाने की शर्त अधिरोपित की जा रही है आदि–आदि ।

(6) क्या Re-list के प्रकरणों में MoEF/CC का पालन प्रतिवेदन प्राप्त की जाये अथवा परियोजना प्रस्तावकों द्वारा 6 माही पालन प्रवितेदन के आधार पर निर्णय लिया जाये । किन्तु क्षमता विस्तार के प्रकरणों में MoEF/CC से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, चाहे परियोजना प्रस्तावक हो या खदन स्थानांतरित/अवधि समाप्त होने के पश्चात् नये आवेदन को प्राप्त हुई हो ।

अतः ऐसे प्रकरणों में जिसमें खनन् का क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन न हो में नवीन आवेदन तथा ऐसे प्रकरण जिनमें उत्पादन की मात्रा बढ़ाई गई हो या प्लांट कांफीगेशन में परिवर्तन किया गया हो (जैसे : नवीन आवेदन में एम–सेंड प्लांट की स्थापना प्रस्तावित हो) क्षमता विस्तार हेतु आवेदन किया जाना चाहिए । इसी प्रकार स्थल विशेष की परिस्थितिकीय को ध्यान में रखते हुए नई शर्ते स्थापित की जानी चाहिए । आशय है कि Re-list हेतु एक मार्गदर्शी बिंदु चिन्हित किये जाने चाहिए ।

अतः समिति का मत है कि इस स्थिति में नीतिगत निर्णय सिया द्वारा लिया जाये ताकि उसी आधार पर आवेदक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें व उनका परीक्षण सेक द्वारा किया जा सके, क्योंकि डिया से संबंधित ऐसे कई आवेदन / प्रकरण आगामी समय में मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए नं. 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 के अनुक्रम में तथा सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में लिए गए नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होने की संभावना है ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.

23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

**Annexure- 'B'**
**Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed

in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

**Annexure- 'C'**

**Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

**Annexure- 'D'**

**General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.

25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

35. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
36. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
37. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
38. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

## खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 – 03.0 फिट | 03–05 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 – 05.5 फिट | 05–10 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।